implemented by the Government and their public sector undertakings. The Government promote construction of low-cost houses in the implementation of schemes for social housing and financing of housing activities by the Housing and Urban Development Corporation so that the houses constructed are within the means of the people for whom the schemes are intended. For construction in the general pool also, the Government are economising on cost of construction.

V.I.Ps having their own Houses in Delhi using Government Accommodation

1946. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that those V.I.Ps. who have their own houses in Delhi are using Government accommodation paying even market rent; and

(b) if so, the number of houses, flats and other accommodation occupied by the un-authorised persons?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Allottees of Government quarters, who have their own houses in Delhi, are eligible for retention of Government quarters on payment of market rent. The house-owning restriction are not, however, applicable to V.I.P's such as Ministers, M.Ps., Judges of the Supreme Court, and the Delhi High Court and Members of the Planning Commission.

(b) The house-owning officers, who retain Government accommodation on payment of market rent, are not considered as un-authorised occupants.

दिल्ली प्रशासन द्वारा निलंबित किए गए अध्यापक

1947. **श्री शिव नारायण सरसूनिया:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली प्रशासन ने कितने अध्यापकों को निलंबित किया ; और

(ख) क्या निलंबित अध्यापकों को कोई आरोप-पत्र दिया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) :(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 57 अध्यापकों को निलम्बित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में निम्न वर्ग के कर्मचारियों को सरकारी मकानों का आवंटन

1948. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 70 प्रतिशत से अधिक निम्न वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली एवं अन्य शहरों में अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं दिए गए हैं और न ही उन्हें निकट भविष्य में मिलने की आशा है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो हजार रुपये अथवा उस से अधिक वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर मिल गए हैं;

(ग) क्या निम्न वर्ग के कर्मचारियों को सचिवालय से दूर के स्थानों पर स्थित स्थानों पर एक कमरे के फलैट दिये गये हैं जो उनकी आवश्यकता से बहुत कम है और साथ ही उन्हें बहुमंजिली इमारतों में स्थान दिया गया है जो कि अत्यधिक कष्टप्रद है ; और

(घ) क्या मंत्रालय इस बारे में कोई नई नीति निर्धारित करने जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली और फरीदाबाद में, निम्न वर्गों के 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को, जो सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं, सरकारी वास दे दिए गए हैं। अन्य शहरों में जहां लगभग 43 प्रतिशत ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, 70 प्रतिशत से अधिक पात्र कर्मचारियों को सरकारी वास नहीं दिया गया है। निकट भविष्य में इन सभी को वास देना संभव नहीं होगा।

(ख) केवल फरीदाबाद में ऐसे सभी अधिकारियों को वास दे दिए गए हैं।

(ग) पुराने टाईप–1 क्वार्टर केवल एक कमरे के हैं किन्तु टाईप–1 के सभी नए निर्माण में दो कमरों की व्यवस्था है। मकानों का निर्माण भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सामान्य पूल वास के आवंटी केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन दोनों के विभिन्न कार्यालयों तथा समस्त दिल्ली में फैले हुए दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में काम करते हैं। ड्यूटी के स्थान पर से क्वार्टर का फासला एक परिवर्तनशील घटक है। यदि किसी आवंटी को अपनी ड्यूटी के स्थान से बहुत दूर क्वार्टर अलाट होता है तो उसे बदलने के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हाकी टीमों के चयन की पद्धति में आमूल परिवर्तन

1949. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एशियाई हाकी टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर रहा ; और

(ख) क्या सरकार भारत जैसे विशाल देश से विदेश भेजी जाने वाली टीम के चयन की पद्धति में आमूल परिवर्तन करने, अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य भारतीय हाकी संघ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

Demand for Secondary School Grants Commission

1950. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the All India Secondary School Teacher's Federation has demanded a Secondary Schools Grants Commission on the lines of the University Grants Commission; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) This is a matter which would require detailed consideration in consultation with State Governments and other agencies.